

कार्यालय मेदिनीनगर नगर निगम।

ज्ञापांक दिनांक

आम- सूचना

प्रेस विज्ञप्ति

मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी छोटे बड़े व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि Jharkhand Municipal Act. 2011 अधिनियम की धारा 455 के तहत Trade License बनवाना अनिवार्य है।

तदनुसार, निदेश दिया जाता है कि आप अपने दुकान का Municipal Trade License बिना जुर्माना के 31 दिसम्बर 2018 तक देय कर सकते हैं। समय अवधि गुजरने के बाद जुर्माना सहित राशि वसूल की जाएगी।



कार्यपालक पदाधिकारी
मेदिनीनगर नगर निगम

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि :- कार्यालय सूचना पट पर साटकर एवं विभागीय Website <http://www.udhd.gov.in> के नोटिस पर अवलोकन किया जा सकता है।



कार्यपालक पदाधिकारी
मेदिनीनगर नगर निगम

ज्ञापांक दिनांक


प्रतिलिपि :- प्रबंधक, राज साउण्ड को ध्वनि विस्तार यंत्र द्वारा दो दिनों तक नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रचार-प्रसार हेतु सूचनार्थ प्रेषित।



कार्यपालक पदाधिकारी
मेदिनीनगर नगर निगम

ज्ञापांक 4768 दिनांक 13.10.2018

प्रतिलिपि :- सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, पलामू को विज्ञापन के रूप में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


कार्यपालक पदाधिकारी
मेदिनीनगर नगर निगम